International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

भारत की सामाजिक - आर्थिक समस्याएँ एवं गांधीवादी समाधान

सुगन चन्द मीणा[1], डॉ. नरेन्द्र नाथ[2]

[1]शोधार्थी डूंगर महाविद्यालय बीकानेर, पंजी. संख्या SS/2018/70

[2]प्रोफेसर डूंगर महाविद्यालय बीकानेर

शोध सारांश

जहाँ न्याय से इन्कार किया जाता है, जहाँ गरीबी व्याप्त है, जहाँ अज्ञानता व्याप्त है, और जहाँ किन्हीं खास वर्गों को यह महसूस होता है कि समाज उन्हें दबाने, लुटने और अपमानित करने के लिए एक संगठित साजिश है, वहाँ न तो व्यक्ति और न ही संपत्ति सुरक्षित रहेगी।

फ्रेडिक डगलस, 1886

यह शोध पत्र वर्तमान में भारत की सामाजिक-आर्थिक समस्याओं के संभावित निवारण विकल्पों की रूप रेखा प्रस्तुत करता है। वस्तुतः गांधीवादी सिद्धांतों को वर्तमान भारतीय सामाजिक-आर्थिक विषमताओं के समाधान हेतु कसौटी पर कसने का प्रयास है। ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले देश भारत में ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि देश का आर्थिक ढांचा स्वदेशी हो जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण सुनिश्चित हो। इस शोध पत्र में भारत की सामाजिक समस्याओं को उजागर करने का प्रयत्न किया गया है तथा इनकी समाप्ति हेतु किये जा रहे सरकारी प्रयास एवं महात्मा गांधी द्वारा इस हेतु दिये गये उपदेशों, दर्शन एवं सिद्धांतों को उजागर करना है। मसलन जाति व्यवस्था, महिला हिंसा, लिंग भेद, हत्या, अपहरण, बलात्कार जैसी घृणीत मानसिकता को रोकने हेतु सरकारी, गैर सरकारी प्रयासों को यथास्थान रखा गया है। इस शोध पत्र में भारत में गरीबी की स्थिति को भी दर्शाया गया है। गरीबी उन्मूलन हेतु सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों एवं सतत विकास के गांधीवादी आदर्शों को भी उजागर किया गया है।

संकेताक्षर - अंहिसा, ग्राम विकास, गरीबी उन्मूलन, ट्रस्टीशिप, नारी उत्थान

भारत की सामाजिक समस्याएँ

जाति व्यवस्था- भारत में जाति व्यवस्था एक जटिल सामाजिक पदानुक्रम है जिसने परम्परागत रूप से भारतीय समाज के भीतर व्यक्तियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति निर्धारित की है। सामान्यतः पारंपरिक हिन्दू जाति व्यवस्था में चार मुख्य जातियाँ है ब्राह्मण (पुजारी, विद्वान) क्षत्रिय (यौद्धा एवं शासक) वैश्य (व्यापारी और जमींदार) शुद्र (कामगार एवं मजदूर) अपने आरंभिक चरण में जाति व्यवस्था कर्म आधारित थी लेकिन कालांतर में यह व्यवस्था कर्म की

बजाय जन्म आधारित बन गई। फलतः जातिय व्यवस्था में कठोरता आने लगी। अतः जन्म के आधार पर व्यवसाय तय होने लगे। इस प्रकार कर्म आधारित, श्रम विभाजन की यह व्यवस्था मात्र कर्मकाण्ड / पाखण्ड बन के रह गई। इसमें वंशानुगत व्यवसाय, आहार प्रतिबंध, विवाह प्रतिबंध, शुद्धता एवं अशुद्धता जैसी अवधारणाओं ने जन्म लिया। एक सकारात्मक कार्य विभाजन जन्म आधारित होकर एक अभिशाप बन गया। जिसने छूट-अछूट, भेदभाव दास प्रथा, व्यवसाय का सीमित विकल्प, राजनीति का जातिकरण एवं जातियों का राजनीतिकरण जैसी सामाजिक बाधाओं ने जन्म लिया । स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् इस सामाजिक अभिशाप को भेदभाव को समाप्त करने हेतु अनेक संवैधानिक प्रयास किये गये। यह सच है कि इन संवैधानिक प्रयासों से समाज के वंचित समुहों को समाज की मुख्यधारा में आने का मौका मिला लेकिन क्या सामाजिक भेदभाव पूर्णतया समाप्त हो गया यह कहना सही नहीं है ।

समाज का एक महत्वपूर्ण भाग जिसे दलित समूह के नाम से संबोधित किया जाता के साथ भेदभाव, हिंसा की घटना आज भी भारतीय समाचार पत्रों की शान में धब्बा बने हुए है। NCRB की रिपोर्ट 2022 में बताया गया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के खिलाफ अपराध और अत्याचार में समग्र वृद्धि हुई है। NCRB की भारत में अपराध रिपोर्ट में बताया गया कि वर्ष 2021 में 50900 अपराध मामले अनुसूचित जातियों के दर्ज किये गये, वहीं वर्ष 2022 में यह बठकर 57582 हो गये जो कि वर्ष 2021 से 13.1% अधिक है। अपराध दर 2021 में 25.3% से बठकर 2022 में 28. 6% हो गई है। अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अपराध करने के कुल 10064 मामले दर्ज किये गये जो 2021 में (8802) की तुलना में 14.3% अधिक है। अपराध दर 8.4% से बढ़कर 2022 में 9.6% हो गई। महज शादियों के अवसर पर दलित युवक के घड़ी चढ़ने मात्र से उसे प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। इस सामाजिक अभिशाप को समाप्त करना मानव जाति हेतु परम आवश्यक है।

वर्ण-आश्रम व्यवस्था के समर्थक के रूप में गांधी की व्यापक रूप से आलोचना की जाती है। हां, गांधी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे और वर्ण-आश्रम व्यवस्था में विश्वास गांधी के अनुसार हिंदू होने की एक प्रमुख योग्यता थी। हालांकि गांधी की वर्ण व्यवस्था में आंतरिक लचीलापन था और हिंदू समाज में वर्ण परस्पर विनिमय योग्य थे। गांधी की वर्ण व्यवस्था में एक शूद्र को अपने वंशानुगत कर्तव्य का पालन करना चाहिए और यदि वह पुरोहिती कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम है तो उसे अपने पैतृक कर्तव्यों का त्याग या अस्वीकार किए बिना उन्हें पूरा करना चाहिए। यह लचीलापन गांधी की वर्णाश्रम व्यवस्था की योजना में सभी वर्गों के लिए सही है। एक ब्राह्मण हथियार उठाने और युद्ध की तकनीक सीखने या शूद्र के कर्तव्यों का पालन करने या उस मामले में वैश्य के कर्तव्यों का पालन करने के लिए स्वतंत्र था, लेकिन अपने पैतृक पुरोहिती कर्तव्यों का पालन किए बिना नहीं। गांधी के लिए श्वर्ण व्यवस्था पदानुक्रमित नहीं थी। सभी चार वर्ण समाज के लिए समान स्थिति और कार्यात्मक थे। चारों वर्ण क्षैतिज रूप से रखे गए थे और परस्पर प्रतिस्थापनीय थे। हालाँकि वास्तव में श्वर्ण व्यवस्था पदानुक्रमित थी और सभी वर्गों पर धार्मिक और सामाजिक प्रतिबंध लगाए गए थे। सामाजिक संबंधों के नियमों का पालन न करने पर समाज के चार गुना विभाजन में श्वर्ण की स्थिति के अनुपात में कठोर और अमानवीय दंड दिया जाता था। गांधी ने व्यक्तिगत स्तर पर ऐसी किसी भी चीज़ को अस्वीकार कर दिया जो उनके न्याय की भावना को पसंद न आए या जो अनुचित हो। गांधी के लिए कठोर श्वर्ण व्यवस्था और मनुस्मृति द्वारा लगाए गए सामाजिक और धार्मिक प्रतिबंध स्वीकार्य नहीं थे। गांधी का वर्णाश्रम सभी के लिए खुला था और इसलिए आलोचना मान्य नहीं है। वर्णाश्रम व्यवस्था प्रारंभिक वैदिक युग (2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व) में अस्तित्व में आई थी। इसमें

चार वर्ण (व्यवसाय) शामिल हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र और चार आश्रम या जीवन की चार अवस्थाएँ हैं जिनमें से प्रत्येक की अवधि 25 वर्ष है, जिसकी शुरुआत ब्रह्मचर्य आश्रम से होती है जिसमें व्यक्ति से ब्रह्मचारी रहने और रोजगार योग्य होने के लिए कौशल और शिक्षा प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है। इसके बाद गृहस्थाश्रम आता है जिसमें व्यक्ति एक घर खरीदता है, शादी करता है और बच्चे पैदा करता है। जीवन के 50वें वर्ष पूरे होने पर, व्यक्ति से वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश करने या अगले 25 वर्षों तक जंगलों में रहने की अपेक्षा की जाती है। यह एक ऐसी अवधि है जिसके दौरान व्यक्ति से ध्यान करने और ज्ञान और बुद्धि प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है। जीवन के अंतिम 25 वर्ष संन्यासाश्रम में बिताने होते हैं। यह व्यक्ति के जीवन की वह अवस्था है जहाँ वह संन्यासी बन जाता है या ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ त्याग देता है और एक भिक्षुक का जीवन जीता है। संन्यासी से अपेक्षा की जाती है कि वह अर्जित ज्ञान और बुद्धि को लोगों तक पहुँचाए। अपने मूल रूप में, व्यवस्था में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों तरह की गतिशीलता थी। यह कर्तव्यों के संदर्भ में श्रम विभाजन और जीवन विभाजन का भारतीय संस्करण था । वर्ण-व्यवस्था आज की वर्ग व्यवस्था के समान थी। हालाँकिएयह व्यवस्था बंद और कठोर हो गई तथा उत्तर वैदिक युग (1500 ईसा पूर्व से 500 ईसवी) के दौरान जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई, यह वह काल था जब मनुस्मृति या मानवधर्मशास्त्र लिखा गया था।

गांधी की वर्ण व्यवस्था में एक शुद्र को अपने वंशानुगत कर्तव्य का पालन करना चाहिए और यदि वह ब्राह्माणीय कर्त्तव्यों का पालन करने में सक्षम है तो उसे अपने पैतृक कर्त्तव्यों का त्याग या अस्वीकार किये बिना उन्हें पूरा करना चाहिए ।

महिलाओं के विरुद्ध अपराध

महिलाओं के विरुद्ध होने वाले हिंसा एवं अपराध के मामले दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं । यत्र नार्यस्तु पुजयते रमन्ते तत्र देवता वाली उक्ति को भारी धक्का लग रहा है। देश की 50% आबादी को पैरो के नीचे रौंदने वाली खबरें प्राय: होट न्यूज बनती है। मसलन बलात्कार, दहेज उत्पीड़न, छेड़छाड़, अपहरण देह व्यापार, भ्रूण हत्या, बाल विवाह जैसे प्रकरण हमें प्रायः देखने, सुनने को मिलते हैं। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के बीज हमें प्राचीनकाल से ही देखने को मिलते हैं जहाँ परम्परा, प्रतिष्ठा के नाम पर महिलाओं के साथ हिंसा मानों पुरुषों का जन्म सिद्ध अधिकार बन गया हो। आमतौर पर सामाजिक विकासक्रम में समाज नई-नई ऊँचाईयों की ओर बढ़ता चला जाता है लेकिन क्या वर्तमान भारतीय समाज का महिला विरोधी रवैया उचित है यह तय करना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। हमारे तथाकथित सभ्य समाज की पोलपट्टी NCRB की वार्षिक रिर्पोट ने खोलकर रख दी जिसमें बताया गया कि वर्ष 2022 में 4.4 लाख मामले महिला हिंसा के दर्ज किये गये यानि भारत में हर घंटे महिलाओं के खिलाफ अपराध के 51 मामले दर्ज होते हैं। जो गत वर्षों से वृद्धि की कहानी बया करते हैं।

वर्ष	अपराध मामालों की संख्या
2020	445256
2021	428278
2022	371503

इन आंकडों पर जरा गौर फरमाइये और यह तय करे कि क्या हम सचमुच विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। चौंकाने वाले तथ्य यह है कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में से ज्यादातर को पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा की गई क्रूरता के रूप में व्यक्त किया गया है। जिसे निम्न तालिका से समझा जा सकता है।

NCRB

	अपराध वर्गीकरण	प्रतिशत %
1.	पति एवं रिश्तेदारों द्वारा करता	31.4 %
2.	अपहरण	19.2 %
3.	शील भंग के इरादे से हमला	18.7 %
4.	बलात्कार	7.1 %

इन आंकड़ों को देखने से स्पष्ट होता है कि महिलाएँ न तो अपने घर में न ही घर के बाहर सुरक्षित है। यह सुनकर और देखकर अजीब लगता है कि प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे कम संज्ञेय अपराध दर्ज करने वाला एवं विगत 3 वर्षों से भारत का सबसे महफूज माने जाने वाला शहर कोलकाता एक रेजीडेन्ट डॉक्टर के साथ बलात्कार एवं निर्मम हत्या के मामले में समूचे भारत वर्ष को शर्मसार किया । यही नहीं राजस्थान के जोधपुर शहर में 3 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार होना भारत के विश्व गुरु बनने के स्वप्न को निसंदेह झकझोर के रख दिया। ऐसी अनगिनत घटनाएँ भारत वर्ष की शान में धब्बा बनी हुई है। ऐसी घटनाओं को रोका जाना अति आवश्यक है। इस हेतु कानूनी प्रावधानों को ओर अधिक कठोर करना चाहिए एवं उनका बेहतर क्रियान्वयन होना चाहिए। लेकिन इन कानूनी प्रावधानों के साथ-साथ हमें महिला विरोधी मानसिकता को भी बदलने की आवश्यकता है। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया जर्नल में लिखा कि "आदमी जितनी बुराइयों के लिए जिम्मेदार है उनमें सबसे घटिया नारी जाति का दुरूपयोग है।" गांधी के अंहिसा संबंधी दर्शन में उतरकर देखे तो आप पायेंगे कि इस प्रकार के महिला हिंसा मामलों में अंहिसा के दर्शन को लागू किया जाना एवं इससे सीख लेना आवश्यक है। गांधी के दर्शन में यह बात स्पष्ट है कि 'स्त्री पुरुष की साथी है, जिनके पास समान मानसिक क्षमता कुदरती होती है। महिलाओं को किसी भी स्थिति में खुद को पुरुषों के अधीन या अपने आप को उनसे कमतर नहीं मानना चाहिए। गांधी जी कहते थे कि नारी ईश्वर यानि परमात्मा की सर्वोत्कृष्ट कृति है। वह अंहिसा की अवतार है तथा अपने धार्मिक आग्रहों के परिप्रेक्ष्य में पुरुष जाति से कोसों आगे हैं। अत: हम सब का यह प्रयास होना चाहिए कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकें एवं उनको समान अधिकारों वाला सकारात्मक वातावरण प्रदान करें ताकि आधी आबादी का कल्याण सुनिश्चित हो ।

गरीबी

साधारण शब्दों में कहा जाये तो गरीबी एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति या लोगों के समूह के पास पर्याप्त पैसा या जीवन जीने हेतु आवश्यक संसाधनों का अभाव है। जिसके अभाव में व्यक्ति अपनी बुनियादी मानवीय जरूरतों को पुरा नहीं कर पाते हैं तथा भुखमरी के शिकार हो जाते हैं। (ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023) के आंकडे को माने तो वर्ष 2023 में 125 देशों में भारत का स्थान 111 वां है। भारत 28.7 GHI स्कोर के साथ गंभीर

श्रेणी में बना हुआ है। भारत सरकार ने GHI की कार्यप्रणाली की आलोचना की तथा इसे दुर्भावनापूर्ण इरादे से किया गया कार्य बताया। UNDP एवं ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल (OPHI) द्वारा संयुक्त रूप से बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 जारी किया गया। यह सूचकांक प्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति के जीवन और कल्याण को प्रभावित करने वाले स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन स्तर से परस्पर संबंधित अभावों को मापता है। इस सूचकांक में बताया गया कि भारत में अभी भी 230 मिलियन से अधिक लोग गरीब है। भारत में इस दिशा में हो रहे सकारात्मक सुधारों को भी इस सूचकांक में स्थान दिया गया है। हाल ही में नीति आयोग ने 'वर्ष 2005-06 से भारत में बहुआयामी गरीबी' शीर्षक से एक चर्चा पत्र जारी किया गया है जिसमें कहा गया कि पिछले नौ वर्षों में 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आ गये हैं। इन सभी तथ्यों से यह स्पष्ट है कि भारत को इस दिशा में और गहन सकारात्मक प्रयास करने होंगे। इस हेतु हमें गांधीवादी आत्म स्वावलंबन सिद्धांतों को अपनाया जाना चाहिए। आजादी के अमृत महोत्सव एवं इंडिया@75 के दौर में देश आज इसलिए भी गरीब है क्योंकि महात्मा गांधी जी कहते थे कि शहरों का कितना भी विकास कर लो अगर गांवों तक विकास नहीं पहुँचा तो विकास अधुरा ही रहेगा क्योंकि भारत की आधी से अधिक आबादी गाँवों में निवास करती है। हर हाथ को रोजगार मिले, कुटीर उद्योगों का विकास हो तथा शिक्षा व्यवस्था इस प्रकार से बनायी जाएँ जिससे कौशल का विकास हो नयी शिक्षा नीति इस ओर एक सकारात्मक कदम साबित हो सकती है। गांधी जी के दृष्टीशिप के सिद्धांत का उपयोग किया जाना भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। देश के आर्थिक रूप से शीर्ष पर बैठे पूंजीपतियों एवं धनाढ्य लोगों को भी राष्ट्र विकास में अपना योगदान देना चाहिए।

निष्कर्ष

आजादी के अमृत महोत्सव एवं इडिया@75 जैसे मार्गदर्शक कार्यक्रमों की वास्तविक सफलता हेतु आवश्यक है कि हम समाज में फैले सामाजिक-आर्थिक भेदभावों को समाप्त करें। वर्तमान में भारत एक संक्रमणकालीन अवस्था से गुजर रहा है। हम विश्व की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में स्थान जमा चुके है। अगर हमें वृद्धि एवं विकास की खाई को पाटना है तो देश की आधी आबादी को उनके अधिकार देने होंगे। जहाँ एक ओर नारी को पूजनीय और ममतामयी माना जाता है वहीं दुसरी ओर उसे भोग्य वस्तु की तरह समझा जाता है। अगर हमें सचमुच विश्व गुरु बनना है तो हमें इन नकारात्मक विचारों का त्याग करना होगा। निः सन्देह हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का दर्शन इसमें मार्गदर्शन प्रदान करेंगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. हरिजन
2. हिन्द स्वराज
3. M.K गांधी हिन्दू धर्म का सार, VB खेर अहमदाबाद, 1987
4. वर्ण एवं आश्रम व्यवस्था पर महात्मा गांधी, कृष्णन नंदेला

अन्य

1. Economic and Political Weekly
2. नीति आयोग रिपोर्ट

3. Global MPI रिपोर्ट 2023
4. Global Hunger Report
5. NCRB भारत सरकार
6. M.K.Gandhi.org.
7. The Hindu
8. PIB भारत सरकार